न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 349/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/567

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
श्रीमति धूड़ीदेवी पत्नी हेमराज जाति भील निवासी हाऊसिंग बोर्ड़ बालोतरा हाल– पनोतरी नाड़ी टापरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.जवेरीलाल पुत्र सकाराम 2.धुड़ाराम पुत्र सकाराम 3.पवानाराम पुत्र सकाराम 4.सायरों पत्नी सकाराम 5.पुरखाराम पुत्र टबाराम 6.मका पुत्र बादरा 7.वीरा पुत्र बादरा जाति भील निवासी पनोतरी नाड़ी टापरा 8.अनोपसिंह पुत्र उत्तमसिंह 9.अमृतकंवर पुत्री हड़मतसिंह 10.गिरधारीसिंह पुत्र हड़मतसिंह 11.पहाड़सिंह पुत्र हड़मतसिंह 12.बाईराजकंवर पत्नी मलसिंह 13.महेन्द्रसिंह पुत्र मलसिंह 14.सुकांकंवर पुत्री हड़मतसिंह 15.हंसकंवर पत्नी हड़मतसिंह जाति राजपूत निवासी पनोतरी नाड़ी, टापरा 16.वरजूदेवी पत्नी पदमाराम जाति कलबी निवासी जागसा 17.ईश्वरलाल पुत्र वीराराम 18.रवीना पुत्री वीरमाराम 19.लक्ष्मण पुत्र वीराराम 20.दरिया पत्नी वीराराम 21.विक्रम पुत्र वीराराम 22.दिनेश पुत्र वीराराम 23.धर्माराम पुत्र वीराराम 24.बाबुलाल पुत्र वीराराम 25.मदन पुत्र वीराराम जाति भील

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

निवासी पनोतरी नाड़ी,टापरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
26.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार,
तहसील पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री लाधूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीनी

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 24.3.25

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम पनोतरी नाड़ी पटवार हल्का टापरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 776 क्षेत्रफल 5.9084 हैक्टयर एवं विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 773 क्षेत्रफल 3.2213 हैक्टयर,खसरा संख्या 774 क्षेत्रफल 2.4605 हैक्टयर,खसरा संख्या 775 क्षेत्रफल 2.1853 हैक्टयर,खसरा संख्या 1027/777 क्षेत्रफल 1.8373 हैक्टयर,खसरा संख्या 1028/777 क्षेत्रफल 1.8373 हैक्टयर, खसरा संख्या 1029/777 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर व खसरा संख्या 140 क्षेत्रफल 5.5157 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीनी द्वारा ग्राम पनोतरी नाड़ी पटवार हल्का टापरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 776 क्षेत्रफल 5.9084 हैक्टयर एवं विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 773 क्षेत्रफल 3.2213 हैक्टयर,खसरा संख्या 774 क्षेत्रफल 2.4605 हैक्टयर,खसरा संख्या 775 क्षेत्रफल 2.1853 हैक्टयर,खसरा संख्या 1027/777 क्षेत्रफल 1.8373 हैक्टयर,खसरा संख्या 1028/777 क्षेत्रफल 1.8373 हैक्टयर, खसरा संख्या 1029/777 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर व खसरा संख्या 140 क्षेत्रफल 5.5157 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम पनोतरी नाड़ी पटवार हल्का टापरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 776 क्षेत्रफल 5.9084 हैक्टयर एवं विप्रार्थी की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि खसरा संख्या 773 क्षेत्रफल 3.2213 हैक्टयर,खसरा संख्या 774 क्षेत्रफल 2.4605 हैक्टयर,खसरा संख्या 775 क्षेत्रफल 2.1853 हैक्टयर,खसरा संख्या 1027/777 क्षेत्रफल 1.8373 हैक्टयर,खसरा संख्या 1028/777 क्षेत्रफल 1.8373 हैक्टयर, खसरा संख्या 1029/777 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर व खसरा संख्या 140 क्षेत्रफल 5.5157 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीनी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्रांम पनोतरी नाड़ी पटवार हल्का टापरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 776 क्षेत्रफल 5.9084 हैक्टयर एवं विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 773 क्षेत्रफल 3.2213 हैक्टयर,खसरा संख्या 774 क्षेत्रफल 2.4605 हैक्टयर,खसरा संख्या 775 क्षेत्रफल 2.1853 हैक्टयर,खसरा संख्या 1027/777 क्षेत्रफल 1.8373 हैक्टयर,खसरा संख्या 1028/777 क्षेत्रफल 1.8373 हैक्टयर, खसरा संख्या 1029/777 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर व खसरा संख्या 140 क्षेत्रफल 5.5157 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4.हमनें प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्रांम पनोतरी नाड़ी पटवार हल्का टापरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 776 क्षेत्रफल 5.9084 हैक्टयर भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि की रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसकी प्रार्थीनी हकदार प्रतीत होती है। खसरा संख्या 773 क्षेत्रफल 3.2213 हैक्टयर,खसरा संख्या 774 क्षेत्रफल 2.4605 हैक्टयर,खसरा संख्या 775 क्षेत्रफल 2.1853 हैक्टयर,खसरा संख्या 1027/777 क्षेत्रफल 1.8373 हैक्टयर,खसरा संख्या 1028/777 क्षेत्रफल 1.8373 हैक्टयर, खसरा संख्या 1029/777 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर व खसरा संख्या 140 क्षेत्रफल 5.5157 हैक्टयर भूमि विप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीनी का कोई हक हकूक निहित नहीं होने के कारण नेखमबंदी का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं बनती है। प्रार्थीनी केवलमात्र अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने का अनुतोष चाह सकती है।

इस प्रकार हम हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 22.11.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीनी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें की हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 111,128 राज़स्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पनोतरी नाड़ी पटवार हल्का टापरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 776 क्षेत्रफल 5.9084 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.3.2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
24/03/2025